भारत सरकार **राज्य सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 3241**

(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 20 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य

3241. **श्री घनश्याम तिवाड़ी:**

डा. दिनेश शर्माः

श्रीमती रेखा शर्माः

श्रीमती किरण चौधरी:

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे:

श्री उज्जवल देवराव निकमः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक के लिए निर्यात प्रोत्साहन मिशन (ईपीएम) के अंतर्गत मापनीय निर्यात वृद्धि के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या ब्याज समानीकरण योजना और बाजार पहुंच पहल (एमएआई) जैसी योजनाओं के एकीकरण से कार्यकुशलता में सुधार हुआ है और दोहराव में कमी आई है;

(ग) निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा के अंतर्गत आवंटित निधियों का राज्य-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) निर्यात दिशा प्रमुख निर्यात बाजारों में अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों और तकनीकी विनियमों के अनुपालन को किस प्रकार सुदृढ़ करती है; और

(ङ) ई-कॉमर्स निर्यात, हरित उत्पादों और उच्च मूल्य वाले विनिर्माण जैसे उभरते क्षेत्रों में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए निर्यात प्रोत्साहन मिशन द्वारा क्या रणनीतियाँ अपनाई जाएंगी?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

क. निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) का उद्देश्य लक्षित वित्तीय और व्यापार सुविधा मध्यस्थताओं के माध्यम से भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना है। मिशन में निर्यात में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की बढ़ी हुई

भागीदारी, निर्यात बाजारों और उत्पादों का विविधीकरण, व्यापार वित्त तक बेहतर पहुंच, लॉजिस्टिक्स और अनुपालन लागतों में कमी, और जिलों तथा क्लस्टरों के वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में मजबूत एकीकरण जैसे मापने योग्य संकेतकों के साथ एक परिणाम-आधारित ढांचे को अपनाया गया है।

ख. मिशन का लक्ष्य निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा के एकीकृत ढांचे के तहत पूर्ववर्ती ब्याज समानीकरण स्कीम (आइईएस) और बाजार पहुंच पहल (एमएआइ) सहित पूर्व की निर्यात संवर्धन जैसी पहलों की मूलवस्तु को युक्तिसंगत और समेकित करना है। यह दृष्टिकोण आवेदन, स्वीकृति, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एक एकीकृत डिजिटल इंटरफेस प्रदान करके विखंडन और अतिव्याप्ति को कम करता है, सामान्य संस्थागत तंत्र के माध्यम से समन्वित वितरण की सुविधा प्रदान करता है और सार्वजनिक संसाधनों के परिणाम-आधारित परिनियोजन को सक्षम बनाता है।

ग. मिशन मांग-संचालित दृष्टिकोण का पालन करता है और स्कीम के दिशानिर्देशों और उपयोग के तरीकों के आधार पर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पात्र निर्यातकों को सहायता प्रदान की जाती है। मिशन के तहत वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए कुल अनुमोदित परिव्यय निम्नानुसार है:

उप स्कीम	वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए बजटीय परिव्यय
निर्यात प्रोत्साहन	₹10,402 करोड़
निर्यात दिशा	₹14,659 करोड़
कुल	₹25,060 करोड़

घ. मिशन की निर्यात दिशा उप-स्कीम लक्षित सहायता उपायों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों और तकनीकी विनियमों के साथ निर्यातकों के अनुपालन को मजबूत करती है। इसमें गैर-प्रशुल्क उपायों (एनटीएम) का समाधान करने के लिए परीक्षण, निरीक्षण और प्रमाणन लागतों के लिए सहायता, जिनमें सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (एसपीएस) उपाय और व्यापार के लिए तकनीकी बाधाओं (टीबीटी) सहित सहायता; निर्यात गुणवत्ता क्षमता-निर्माण; और बाजार पहुंच पहलों की सुविधा को आसान बनाना शामिल हैं। इन मध्यस्थताओं को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से और विदेशों में निर्यात

संवर्धन परिषदों और भारतीय मिशनों के समन्वय से पारदर्शी तरीके से लागू किया जाएगा।

ङ. निर्यात संवर्धन मिशन अनेक वित्तीय और व्यापार सुविधा उपायों के माध्यम से उभरते हुए क्षेत्रों में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने का प्रयास करता है। इनमें सीमा पार ई-कॉमर्स निर्यात के लिए सहायता, जिसमें ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए समर्पित ऋण सहायता के माध्यम से कार्यशील पूंजी तक पहुंच, भारत और विदेशों में गोदाम और लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे में ई-कॉमर्स निर्यात हब के लिए सहायता; और निर्यातकों के लिए निर्यात फैक्टरिंग और आनुषंगिक गारंटी जैसे वैकल्पिक व्यापार वित्त साधनों की सुविधा शामिल है। मिशन हरित वस्तुओं से संबंधित स्थिरता और प्रमाणन आवश्यकताओं को पूरा करने में निर्यातकों की सहायता भी करता है, साथ ही उच्च मूल्य विनिर्माण क्षेत्रों को निर्यात ब्रांडिंग, अनुपालन और बाजार पहुंच को मजबूत करने में सक्षम बनाता है।
